न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या ::– 101/2022

1. उगमाबाई पत्नी बागालाल जी जाति गुर्जर निवासी तिरोली की झोपडिया काटूंदा तह0 बेगूँ
2. बागालाल पिता हीरालाल जाति गुर्जर निवासी तिरोली की झोपडिया काटूंदा तह0 बेगूँ
3. भंवरलाल पिता बागालाल जाति गुर्जर निवासी तिरोली की झोपडिया काटूंदा तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़

विपक्षी

उपस्थित ::– श्री मोहम्मद रफीक खान
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार सरकार विपक्षी

आदेश ::– 27.03.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि मोजा ग्राम काटूंदा प.ह. काटूंदा तह0 बेगूँ की आराजी संख्या 2166/1137, 2167/1142 कुल कीता–2 रकबा 0.3500 हैक्टर भूमि खातेदार प्रार्थी संख्या 1 व 2 उगमाबाई व बागालाल गुर्जर निवासी तिरोली की झोपडिया काटूंदा है खातेदार प्रार्थी संख्या 3 भंवरलाल पिता बागालाल गुर्जर निवासी तिरोली की झोपडिया काटूंदा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज स्थित है।

यह कि ग्राम काटूंदा प.ह. काटूंदा के ही आराजी संख्या 1142/4 रकबा 0.8100 हैक्टर भूमि किस्म बंजड होकर बिलानाम सरकार के रूप में दर्ज है। हम प्रार्थी संख्या 1,2,3 का कब्जा कई वर्षो से आराजी संख्या 1142/4 रकबा 0.8100 हैक्टर भूमि पर होकर हम प्रार्थीगण काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

यह कि हम प्रार्थीगण का कब्जा 1142/4 रकबा 0.8100 हैक्टश्र भूमि में होने से आराजी संख्या 2166/1137, 2167/1142 व 2650/1142 के बजाय 1142/4 रकबा 0.8100 हैक्टर किये जाने का आदेश फरमाया जावे। हम प्रार्थीगण के मौके पर काबिजानुसार नक्शे में भी आराजी संख्या 2166/1137, 2167/1142, व 2650/1142 भूमि के बजाय 1142/4 रकबा 0.8100 हैक्टर किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि हम प्रार्थीगण का कब्जा 1142/4 रकबा 0.8100 हैक्टर भूमि में होने से आराजी संख्या 2166/1137, 2167/1142 व 2650/1142 के बजाय 1142/4 रकबा 0.8100 हैक्टर किये जाने का एव0 हम प्रार्थीगण के मौके पर काबिजानुसार नक्शे में भी 1142/4 रकबा 0.8100 हैक्टर भूमि किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार बेगूँ भूमिधारी न्यायालय में उपस्थित आए तथा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन जवाब में इस प्रकार से किया कि प्रार्थी भंवरलाल पिता बागालाल जाति गुर्जर निवासी तिरोली की झोपडिया काटून्दा के नाम आराजी नं. 2650/1142 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म बंजड बागालाल पिता हीरालाल उगमाबाई पत्नि बागालाल जाति गुर्जर निवाासी तिरोली की झोपडिया काटून्दा के नाम ग्राम काटून्दा प.ह. काटून्दा में आराजी नम्बर 2166/1137, 2167/7742 रकबा 0.2200 हैक्टश्र , 0.1300 हैक्टर किस्म बंजड लगानी 0.41, 0.24 रूप्ये कृषि भूमि खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है जो रेकार्ड में स्वयं सिद्ध है। उक्त आराजीयात पर वर्तमान मे प्रार्थीगण का कब्जा होकर सीमाबंदी की हुई है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि का.न. 2 का जवाब इस प्रकार है कि यह सही है कि ग्राम कादून्दा के आराजी नं. 1124/4 रकबा 0.81 हैक्टर किस्म बंजड होकर बिलानाम सरकार के रूप में दर्ज है जो रेकार्ड से स्वयं सिद्ध है। कालम नं. 3 का जवाब इस प्रकार से है कि यह सही है कि उक्त आराजीयात आराजी नं. 1124/4 रकबा 0.8100 हैक्टर पर पटवार हल्का कादून्दा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण कब्जा होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। रिपोर्ट जवाब दावे के साथ संलग्न है।

यह कि कालम नं. 4 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का कब्जा आराजी नं. 1142/4 रकबा 0.8100 हैक्टर पर होने से आराजी नं. 2166/1137, 2167/1142 व 2650/1142 के बजाय 1142/4 रकबा 0.8100 हैक्टर किया जाना उचित है। कालम नं. 5 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा आराजी नं. 1142/4 रकबा 0.8100 हैक्टर पर होने से राजस्व नक्शे में आराजी नं. 2166/1137, 2167/1142 व 2650/1142 के बजाय 1142/4 रकबा 0.8100 हैक्टर तरमीम शुद्धि किया जाना उचित है। विशेष अभिकथन – बिलानाम आराजी नम्बर 1142/4 रकबा 0.81 हैक्टर एवं प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2650/1142 रकबा 0.40 हैक्टर एवं 2167/1142 रकबा 0.13 हैक्टर तीनो आराजीयात के मूल नम्बर 1142 ही है। प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2166/1137 रकबा 0.22 हैक्टर के मूल आराजी नम्बर बिलानाम आराजी नम्बर के मूल आराजी नम्बर से भिन्न है।

जवाब विपक्षी तहसीलदार भूमिधारी का प्रस्तुत होने के पश्चात बहस प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट पर ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस को प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए बिलानाम भूमि को कब्जे अनुसार अपने नाम पर दर्ज किये जाने एवं नक्शे में भी दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर बहस सुने जाने के पश्चात प्रस्तुत दस्तावेज, मौका रिपोर्ट व पर्चामौका व नक्शाट्रेस आराजी का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। प्रार्थीगण बिलानाम भूमि पर कब्जा किये हुए है तथा अपने खाते की भूमि के बजाय बिलानाम भूमि को अपने नाम खाते में तथा नक्शे में तरमीम करवाना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का प्रस्तुत किया है जो कि इन्द्राज दुरूस्ती का है। प्रार्थी भंवरलाल पुत्र बाघा आराजी संख्या 2650/1142 रकबा 0.4000 हैक्टर भूमि के खातेदार कृषक है, जिस पर भी इनका कब्जा होकर सीमाबंदी की हुई है। तथा प्रार्थीगण उगमा बाई व बागा आराजी संख्या 2166/1137 रकबा 0.2200 हैटर व 2167/1142 रकबा 0.1300 हैक्टर भूमि के गैर खातेदार कृषक है।

किसी खातेदार या गैरखातेदार कृषक की भूमि को बिलानाम घोषित किये जाने व उसके बजाय बिलानाम भूमि को खातेदारी में घोषित किये जाने के प्रावधान इस धारा में नहीं है। साथ ही प्रार्थीगण आराजी संख्या 1142/4 रकबा 0.8100 हैक्टर बिलानाम पर भूमि पर अतिक्रमी है, जिन्हें नियमानुसार बेदखल किया जाना न्यायसंगत होता है। हमारी विनम्र राय से जिस भी किसी आवंटी को आवंटन शुदा भूमि पर कब्जा दिया जाता है उसके आधार पर ही वह उस भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाते हुए खातेदारी अधिकार प्राप्त करता है। इस प्रकरण प्रार्थीगण को आवंटित भूमि पर भी कब्जा होकर उनके खातेदारी व गैर खातेदारी में दर्ज तथा बिलानाम भूमि का भी उपयोग उपभोग व कब्जा करते हुए कर रहे है, जिसको उनके खाते में दर्ज किया जाना उचित होगा ? जवाब के अभिकथन को विपक्षी ने वक्त बहस स्पष्ट नहीं किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का सिद्ध नहीं होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28.03.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी,
बेगूं जिला चित्तौड़गढ़